-1-

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

राजेन्द्र सिंह यादव तनय बैजूलाल यादव
निवासी ग्राम भगतसिंह वार्ड बीना
तह. बीना जिला सागर ....निगरानीकर्ता

विरूद्व

1. भगवानदास तनय परम अहिरवार
2. बालचंद्र तनय पल्टुआ
3. जयराम तनय पल्टुआ
4. गोरा तनय पल्टु
5. खेमाबाई तनय पल्टुआ
6. समेुरसिंह तनय मानसिंह
   सभी निवासी ग्राम हिरनछिपा तह. बीना जिला सागर
7. बलराम तनय परम अहिरवार
   निवासी ग्राम नौगांव तह. बीना जिला सागर ......अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी बीना जिला सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/अ–6/14–15 एंव 36/अ–6/13–14 में पारित आदेश दिनांक 18/7/16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा हिरणक्षिपा स्थित भूमि खसरा क्र 47 रकवा 1.00 हे व 85 रकवा 1.80 हे कुल रकवा 2.80 हे भूमि में से खसरा क्र 85/28 रकवा 1.50हे भूमि अनावेदक क्र 7 द्वारा आवेदक को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय कर मालकाना हक व हिस्सा प्रदत्त किया था तथा राजस्व अभिलेख में आवेदक का नामांतरण स्वीकृत किया गया था। वादग्रस्त भूमि पर तहसीलदार बीना द्वारा पारित आदेश दिनांक 30/9/13 के आधार पर अनावेदक क्र 7 का नाम स्वीकृत किया गया था जिसके उपरांत

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश --ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-259/I/16 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-8-16	1— आवेदक के अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंघई उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गए। मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बीना जिला सागर म0प्र0 के प्र.क्र. 1/अ–6/वर्ष 14–15 एंव 36/अ–6/वर्ष 13–14 में पारित आदेश दिनांक 18/7/16 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक के तर्क में कहा गया कि भूमि खसरा क्र 85/28 रकवा 1.50हे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23/9/1992 के आधार पर तुलसाबाई को तहसीलदार बीना द्वारा पारित बंटवारा आदेश दिनांक 17/10/2001 से प्राप्त हुई थी तथा राजस्व अभिलेख में तुलसाबाई के नाम पर दर्ज थी। तुलसाबाई का स्वर्गवास होने पर उसके पुत्र बलराम द्वारा वारसाना नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अन्य वारसानों द्वारा बलराम के पक्ष में नामातंरण किए जाने पर अपनी लिखित सहमति दी गयी जिसके आधार एर तहसीलदार बीना द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर बलराम का नामांतरण स्वीकृत किया गया था तथा बलराम द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को निर्धारित प्रतिफल प्राप्त कर आवेदक को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22/10/15 के माध्यम से विक्रय किया गया है। तहसीलदार बीना द्वारा सहमति के आधार पर पारित आदेश के विरूद्व बिना किसी आधार के अपील अनुविभागीय अधिकारी बीना के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि विपरीत रूप से अपना आदेश पारित किया है इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। 3— आवेदक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि पैत्रिक भूमि है जो कि तुलसाबाई को बंटवारा में प्राप्त हुई थी इस कारण से अनुविभागीय अधिकारी का तर्क कि प्रश्नाधीन भूमि पर तुलसाबाई व उसके वारसानं को भूमि का अंतरण करने का कोई अधिकार नहीं था पूर्णतः विधि विरूद्व है। उनका यह भी तर्क है आवेदक एक बोनाफाइड पर्सेजर है परंतु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उसको सुनवाई का समुचित	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अवसर प्रदाय नहीं किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय अवधि बाह्य अपील का पृथक से समय अवधि के बिन्दु पर कोई आदेश भी पारित नहीं किया गया। उपरोक्त आधारों पर उनके द्वारा यह निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है। 5— आवेदक के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्र.क्र 251/1985 में पारित आदेश दिनांक 23/9/1992 के पालन में तहसीलदार बीना द्वारा प्र.क्र 41/अ—6/94—95 आदेश दिनांक 17/10/2001 के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि तुलसाबाई को बंटवारा में प्रदत्त कर नामांतरित किया गया था। तहसीलदार बीना द्वारा सहमति के आधार पर तुलसाबाई के स्वर्गवास उपरांत वारसाना नामांतरण अनावेदक क्र 7 बलराम के पक्ष में स्वीकृत किया गया था तथा बलराम द्वारा भूमि का विक्रय आवेदक को किया गया है। चूंकि प्रश्नाधीन भूमि पैत्रिक भूमि है तथा तुलसाबाई को माननीय उच्च न्यायालय के पालन में बंटवारा में प्राप्त हुई थी इस कारण से अनुविभागीय अधिकारी बीना द्वारा निकाला गया निष्कर्ष मान्य किए जाने योग्य नहीं है। तहसीलदार बीना द्वारा अनावेदक क्र 7 के पक्ष मे सहमति के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया था जिस कारण से विधिक प्रावधानों के अधीन उक्त आदेश की अपील वर्जित थी तथा राजस्व न्यायालय व अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वह विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही करें, विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त अनुविभागीय अधिकारी बीना का आदेश में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ। 6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है अनुविभागीय अधिकारी बीना का आदेश दिनांक 18/7/16 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बीना का आदेश दिनांक 30/9/13 यथावत् रखा जाता है परिणामतः प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्र 85/28 रकवा 1.50हे का विक्रय पत्र के आधार पर आवेदक का नाम यथावत रखा जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	